



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 13.10.2020

1-थाना कासना पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल व एक अवैध छुरा बरामद :

दिनांक 12.10.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त सचिन पुत्र लटकनिया नि० ग्राम महेया थाना अमानगंज जिला पन्ना (म०प्र०) वर्तमान निवासी झुग्गी झोपडी बी 4 के सामने साइट-5 कासना गौतमबुद्धनगर को मय चोरी की अपाचे रंग सफेद व एक अवैध छुरा के साथ पैराडाइज कम्पनी के सामने थाना क्षेत्र कासना से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन पुत्र लटकनिया नि० ग्राम महेया थाना अमानगंज जिला पन्ना (म०प्र०) वर्तमान पता झुग्गी झोपडी बी-4 के सामने साइट-5 कासना गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.सं.-301/20 धारा 414 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु.अ.सं.- 302/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-चोरी की अपाचे रंग सफेद चेचिस नं० MD634KE65F2K5210 इंजन न० OE6KF2165016
- 2- एक अवैध छुरा

2-थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 13.10.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित गिरी पुत्र विनोद गिरी निवासी मोहल्ला पंचविहार कालोनी चिपियाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को बिसरख रिपब्लिक क्रासिंग शाहबेरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 563/2020 धारा 306 पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ललित गिरी पुत्र विनोद गिरी निवासी मोहल्ला पंचविहार कालोनी चिपियाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 563/2020 धारा 306 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

3-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त(जिसमें एक महिला अभियुक्ता) गिरफ्तार :

दिनांक 13.10.2020 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त 1 देविश उर्फ राजू पुत्र टेकचन्द्र निवासी ग्राम झाजर थाना ककौड जिला बुलन्दशहर 2-अभियुक्ता परवीन उर्फ गुडिया पत्नी अंकित निवासी ग्राम फतेहपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर को पीएनबी कट सेक्टर-58, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना सेक्टर 58 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/20 धारा-363 भादवि में वांछित चल रहे थे।

घटना का विवरण- वादिया की पुत्री का तीन अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर पर मु0अ0सं0-87/20 धारा-363 भादवि पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अपहृता की बरामदगी के उपरांत मुकदमा उपरोक्त में धारा 376, 120बी भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट की बढोत्तरी की गयी, अभियुक्ता प्रवीन उर्फ गुडिया उपरोक्त द्वारा अभियुक्त देविश उर्फ राजू व अपहृता को अपने घर में शरण देने पर धारा 368 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1 देविश उर्फ राजू पुत्र टेकचन्द्र निवासी ग्राम झाजर थाना ककौड जिला बुलन्दशहर

2-अभियुक्ता परवीन उर्फ गुडिया पत्नी अंकित निवासी ग्राम फतेहपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0-87/20 धारा 363, 376, 368, 120बी भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट थाना सेक्टर 58, नोएडा

4-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक टैम्पू फर्जी नम्बर

प्लेट लगा हुआ बरामद :

दिनांक 12.10.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा टैम्पू चोर यूनूस पुत्र फेरूस अहमद निवासी झुग्गी झोपडी औखला साहीन वाग श्रम बिहार नई दिल्ली को सेक्टर 37 चौराहा पार्किंग स्थल से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक टैम्पू फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ यूपी 16 टी 9273 बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-यूनूस पुत्र फेरूस अहमद निवासी झुग्गी झोपडी औखला साहीन वाग श्रम बिहार नई दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 591/2020 धारा 482,414 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

एक टैम्पू फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ यूपी 16 टी 9273

5-थाना जेवर पुलिस द्वारा कॉपी राईट एक्ट का उल्लंघन कर मिल्क पाउडर बेचकर अनुचित लाभ

कमाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 कुन्तल 75 किग्रा मिल्क पाउडर बरामद :

दिनांक 13.10.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा कॉपी राईट एक्ट का उल्लंघन कर मिल्क पाउडर बेचकर अनुचित लाभ कमाने वाले दो अभियुक्त 1.अशोक नायक पुत्र जालिम सिंह निवासी लालपुर नगला थाना गभाना जिला अलीगढ 2.आशीष नायक पुत्र जालिम सिंह निवासी लालपुर नगला थाना गभाना जिला अलीगढ को उनके माडलपुर स्थित गोदाम से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह स्किम्ड मिल्क पाउडर को मेटाबोलिस्टिक लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड प्लाट नम्बर F 425 इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस 8B SAS नगर मोहाली पंजाब से पारस स्किम्ड पाउडर को लेकर आते हैं तथा कम्पनी धौलपुर फ्रेश का जाली पैकेट छपवाकर उक्त स्किम्ड मिल्क पाउडर को उसमें रखकर बेचकर लाभ कमाते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अशोक नायक पुत्र जालिम सिंह निवासी लालपुर नगला थाना गभाना जिला अलीगढ ।

2.आशीष नायक पुत्र जालिम सिंह निवासी लालपुर नगला थाना गभाना जिला अलीगढ ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु.अ.सं. 466/2020 धारा 63,65 कॉपीराइट अधिनियम थाना जेवर गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण-

1. 70 पैकेट फर्जी ट्रेडमार्क धौलपुर फ्रेश स्किमड मिल्क पाउडर प्रति पैकेट 25 किग्रा वजनी, कुल वजन 18 कुन्तल 75 किग्रा ।

6-थाना फेस 2 पुलिस द्वारा लोगो के साथ धोखाधडी कर साइबर अपराध कर लोगो की मोटी रकम की ठगी करने वाले गिरोह के तीन अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अपराध मे प्रयुक्त 09 मोबाइल फोन, ठगी के एक लाख 22 हजार रुपये व 01 मोटर साइकिल बरामद :

दिनांक 13-10-2020 को वादी श्री मौहम्मद रजाउल हक पुत्र फकरुद्दीन निवासी गेझा थाना फेस 2 नोएडा ने सूचना दी कि निशान्त नाम के व्यक्ति ने अपने साथियो के साथ मिलकर लोगो के साथ धोखाधडी कर साइबर अपराध के जरिये लोगो से वादी के खाते में मोटी रकम करीब 3 लाख रुपये ट्रांसफर करवा कर झूठ बोलकर नगदी के रूप में निकलवाकर प्राप्त कर लिये इस सूचना पर थाना फेस 2 पर मु0अ0सं0 611/20 धारा 420,406 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ ।

थाना फेस 2 पुलिस द्वारा शीघ्र कार्यवाही करते हुए जानकारी एकत्र की तो ज्ञात हुआ कि निशान्त पुत्र आलम अपने दो साथियो के साथ सुपरटेक सेक्टर 137 नोएडा में किराये का फ्लैट लेकर रह रहे है और कही भागने की फिराक में है । इस सूचना पर थाना फेस 2 पुलिस द्वारा आज मण्डी कट दादरी रोड से घेराबन्दी कर 03 अभियुक्तगण 1.अब्दुल हन्नान पुत्र इरफान हुसैन 2. सुहेब हसन पुत्र जाफर हसन 3. निशान्त आलम पुत्र उमर आलम निवासीगण मुरादाबाद को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तगण के कब्जे से अपराध करने में प्रयुक्त 09 मोबाइल फोन, साइबर अपराध से अर्जित 1,22,000/- रुपये व एक मोटर साइकिल नम्बर यूपी 21 सीएच 8623 बरामद हुए है । अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अब्दुल हन्नान पुत्र इरफान हुसैन निवासी मौहल्ला बरबलान थाना मुगलपुरा जिला मुरादाबाद

2.सुहेब हसन पुत्र जाफर हसन निवासी 11 डी/10 खोना मुगलपुरा निकट इमामबाड़ा अब्दुल्लापुरा थाना नागफनी जिला मुरादाबाद

3. निशान्त आलम पुत्र उमर आलम निवासी मोहल्ला वारसीनगर गली न0 04 जामामस्जिद थाना कटघर जिला मुरादाबाद वर्तमान निवासीगण फ्लैट न0 एलएम 515 सुपरटेक इकोसिटी सेक्टर 137 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 611/20 धारा 420,406,411 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. अपराध मे प्रयुक्त 09 विभिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन
2. अपराध से अर्जित नकदी 01 लाख 22 हजार रुपये
3. एक मोटर साइकिल नम्बर यूपी 21 सीएच 8623

7- थाना दनकौर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 13.10.2020 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/2020 धारा 279,304क भादवि0 का 01 वांछित अभियुक्त इकवाल पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम जौहरी थाना सिविल लाइन जिला मुरैना को थाना दनकौर क्षेत्र के चपरगढ रैम्प यमुना एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

इकवाल पुत्र सुल्तान नि0 ग्राम जौहरी थाना सिविल लाइन जिला मुरैना

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 445/2020 धारा 279,304क भादवि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

8- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 13.10.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 1082/19 धारा 304 भादवि0 का 01 वांछित अभियुक्त अजय उर्फ लोकेश उर्फ चिलकिया पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम लडाना थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर को थाना फेस 2 क्षेत्र के सेक्टर 82 कट दादरी रोड से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 11.12.2019 को वादी श्री राहुल देव पटेल ने सूचना दी थी कि उसके ताऊ के बेटे श्री खिवेन्द्र पुत्र प्रताप के साथ दिनांक 16/17.09.2019 को सचिन शर्मा आदि द्वारा की गयी मार पीट से आयी चोटो के कारण उपचार के दौरान दिनांक 03.10.19 मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना फेस 2 नोएडा पर मु0अ0स0 1082/19 धारा 304 भादवि0 पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्त का विवरण-

अजय उर्फ लोकेश उर्फ चिलकिया पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम लडाना थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 1082/19 धारा 304 भादवि0 थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

9- थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा/चैन सैचर गिरफ्तार :

दिनांक 13.10.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा अभियुक्त विपिन पुत्र बिजेन्द्र निवासी रिझौडा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर को हनुमान चौक थाना क्षेत्र बिसरख से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल, एक मोबाइल फोन वीवो तथा 7200 रूपये नकद बरामद किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्त का साथी दीपक पुत्र अशोक निवासी बिन्दवा थाना अटैर जिला भिन्ड (मध्य प्रदेश) मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

घटना का विवरण-

दिनांक 19.09.2020 को पंचशील ग्रीन 1 सोसायटी के पास से अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे का डर दिखाकर चैन लूटी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 590/2020 धारा 392/411/482 भादवि पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उपरोक्त मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट बदल-बदल कर लूट की घटनाओं में प्रयोग करते हैं व दिनांक 01.10.2020 को थाना क्षेत्र बादलपुर के अन्तर्गत अभियुक्त अपने साथी योगेन्द्र उर्फ मेजर व विकास के साथ मिलकर सुनार की दुकान में लूट करने के लिये घुसा था व अन्य साथी दीपक व विशाल बाहर अपाचे मोटर साइकिल पर खड़े थे, विरोध करने पर साथी विकास ने सुनार को गोली मार दी थी और वहा से

भाग गये थे । जिसके सम्बन्ध मे थाना बादलपुर पर मु0अ0सं0 406/2020 धारा 307 भादवि पंजीकृत है । अभियुक्त योगेंद्र, विकास व विशाल पूर्व में ही जेल जा चुके है।

अभियुक्त का विवरण-

1. विपिन पुत्र बिजेन्द्र निवासी रिझौडा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 590/2020 धारा 392,411,482 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 406/20 धारा 307 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण-

1. 7200 रुपये,
2. मोटर साइकिल अपाचे,
3. मोबाइल फोन वीवो,
4. एक मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट डीएल 14 सीजे 6787